[illegible]लय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठसीन अधिकारी श्री कैलाश चन्द्र गुर्जर

[illegible] संख्या ::–61/2023

1–निर्मल कुमार पिता बंशीलाल मेवाडा वगैरा निवासी पारसोली तहसील बेगूँ
2–रामचन्द्र पिता भँवरलाल जी गुर्जर आयु बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील बेगूँ

वादीगण

बनाम

1– केसर पिता कालु जी नाई आयु बालिग निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
2– ज्ञानमल पिता कालु जी नाई आयु बालिग निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
3– श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार सां. तहसील बेगूँ
4–श्रीमान राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय चित्तौडगढ (राज.)

प्रतिवादीगण

उपस्थित :: श्री शाहिद मंसूरी
अधिवक्ता वादी
अधिवक्ता प्रतिवादीगण
अनुपस्थित

निर्णय दिनांक :: 26.10.2023

निर्णय वाद अ0धा0 53–88 राज0 काश्त0 अधि0

वादीगण एवं प्रतिवादीगण क संयुक्त कब्जे काश्त की कृर्षि आराजी ग्राम ठुकराई तह. बेगूँ जिला चित्तौडगढ मे स्थित है जिसकी तफ्सील निम्न प्रकार है:–

खाता नं.	आराजी नं.	रकबा
884	1042	0.6320
	1711	0.6710
	1712	0.0650
	1718	0.5910
	1719	0.1620
	किता– 5 कुल	रकबा 2.1210 हैक्टर

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित कृर्षि आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण के सामलाती खोतदारी मे दर्ज होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य सीमा विवाद बना रहता है दिनांक 01.04.2023 को प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर उक्त वाद वर्णित कृर्षि आराजी को लेकर झगडा किया इसलिये वादीगण ने प्रतिवादीगण को इस कृर्षि आराजीयात का तहसील कार्यालय में चलकर विभाजन कराने को कहा तो प्रतिवादी ने तहसील मे चलकर बंटवारा कराने से इन्कार कर दिया इसलिये वादीगण को यह वाद पत्र अपने खाते की भूमि का विभाजन कराने हेतु प्रस्तुत करने की आवश्यकता पडी है।

यह कि वाद पत्र की चरण संत्र 1 मे से वादीगण के आराजी नं. 1042, 1711, 1712, 1718, 1719 के हक हिस्से मे से वादीगण का 3/10 हिस्सा अलग करने की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान कराई जाकर भूमि का कानूनन मिटस एण्ड बाउडन्स (अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी) के आधार पर विभाजन कराये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान करायी जावें। वाद पत्र की चरण सं. 1 में अंकित कृर्षि आराजीयात मे से आराजी नं. 1042, 1711, 1712, 1718, 1719 मे से वादीगण का 3/10 हक हिस्सा मिटस एण्ड बाउडन्स (अच्छीसे अच्छी व बुरी से बुरी) के आधार पर विभाजन किया जाकर रेवेन्यु रिकार्ड मे भी अलग–अलग दर्ज किये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान कराई जावें।

दावा बाद जॉच रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया जाने पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 सूचना के बावजूद उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश [illegible] सं.3,4 फोर मल पक्षकार होने से जवाब दावा पेश नहीं करने से जवाब का अवसर ब[illegible] वादी द्वारा प्रकरण मे वादी रामचन्द्र का साक्ष्य हेतू शपथपत्र पेश कर बयान कलम बद्ध किये जाकर दस्ता[illegible] किया गया। प्रकरण मे प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी सम्वत–2078–2078 मे खाता सं. [illegible] आराजी[illegible]1042, 1711, 1712, 171[illegible] कुल किता–5 कुल रकबा 2.1210 हैक्टर भूमि मे वादी सं.1 [illegible]0 व वादी सं. [illegible] के खातेदा[illegible]अंकित है। प्रदर्श–2 नकल नक्शा है। प्रकरण में खाता सं. 88[illegible] 1042, 1711, [illegible]712, 1718, 1719 कुल [illegible] कुल रकबा 2.1210 हैक्टर भूमि मे वादी सं. 1 का 3/10 व वादी [illegible] 2 का 3/10 हिस्से का विभाजन करने को अधिकारी पाये जाते है।

अतः वादी वादीगण का अ.धा. 53,88 का स्वीकार किया जाता है दावा प्राथमिक डिकी किया जाकर खाता पृथक पृथक किये जाने की घोषणा की जाती है। मौजा ठुकराई प.ह. ठुकराई के खाता सं. 884 में स्थित आराजी सं. 1042, 1711, 1712, 1718, 1719 कुल किता 5 रकबा 2.1210 हैक्टर भूमि मे वादी सं.1 का 3/10 वादी सं. 2 का 3/10 हक हिस्सा करते हुए आराजी का अच्छी से अच्छी बुरी से बुरी के आधार पर काबिज अनुसार भूमि का विभाजन मिटस एण्ड बाउन्ड अनुसार करने की घोषणा की जाती है शेष हिस्सा जमाबंदी अनुसार रखते हुए उक्त आराजी का विभाजन किये जाने हेतू तहसीलदार बेगूँ को 1500रू कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त निर्णय अनुसार दावा प्राथमिक डिकी किया जाता है। डिकी की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ भेजी जावें।

उपरोक्त प्राथमिक निर्णय व डिकी की पालना में तहसीलदार बेगूँ को वर्णित वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य तैयार कर न्यायालय में [illegible]
द्वारा उनके पत्र कमांक [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:26:56 IST
Reason: SelfAttested

वादि निर्मल कुमार व रामचन्द्र ने दोनो की भूमि शामिल में रखने बाबत सहमति दी है विभाजित खसरो पर पहुंचने लिए मौके पर कदिमि रास्ता जारी है

1— निर्मल कुमार पिता बन्शीलाल कलाल(मेवाडा) निवासी पारसोली हिस्सा 1/2 रामचन्द्र पिता भंवर लाल गूर्जर निवासी गोपालपुरा हिस्सा 1/2 खातेदार

आराजी नं.	रकबा	किस्म	लगान
1042 मे से	0.3792	माल–2	2.58
1711 मे से	0.1332	माल–2	0.91
1712 मे से	0.0072	बीड	0.02
1718	0.5910	माल–2	4.03
1719	0.1620		0.40
किता– 5 कुल	रकबा 1.2796 हैक्टर		7.94

2— ज्ञानमल पिता कालू हिस्सा 1/2 केसर पिता कालू नाई हिस्सा 1/2

आराजी नं.	रकबा	किस्म	लगान
1042 मे से	0.2528	माल–2	1.73
1711 मे से	0.5378	माल–2	3.67
1712 मे से	0.0578	बीड	0.14
किता– 3 कुल	रकबा 0.8484 हैक्टर		5.54

उपरोक्त आराजीयात का खाता पृथक–पृथक राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता है।

यह दावा अन्तिम निर्णय आज दिनांक 26.10.2023 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:26:56 IST
Reason: SelfAttested